

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 29 □ अंक- 159 □ रायपुर, गुरुवार 2 जुलाई 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपये • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पैसे की रिकवरी का आदेश देने का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

बिलासपुर, 2 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सलाहकार और सिफारिश करने वाली संस्था है। उसे कमर्शियल विवाद में पैसे की रिकवरी का आदेश देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि 'छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995' के तहत आयोग की सलाह आमतौर पर राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी हो सकती है, लेकिन वह असल में रिकवरी का आदेश जारी करके किसी सक्षम अधिकारी की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 23 सितंबर 2022 को जारी आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर जस्टिस अमिर्तेन्द्र किशोर प्रसाद सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता कमला मोटर्स ने 21 लाख रुपये में एक हार्वैस्टर बेचने का सौदा किया। इसके लिए 30,000 रुपये का एडवांस दिया गया।



चूँकि तय समय के भीतर बैंक फाइनंस का इंतजाम नहीं हो सका और कोविड-19 महामारी के कारण डिलीवरी में भी देरी हुई, इसलिए यह सौदा पूरा नहीं हो सका। हालांकि प्रतिवादी को फाइनंस मिलने के बाद गाड़ी डिलीवरी के लिए उपलब्ध करा दी गई, लेकिन रेस्पॉन्डेंट ने सौदा रद्द किया और उसके बाद आयोग सहित कई अधिकारियों के पास शिकायतें दर्ज कराईं। आयोग ने कलेक्टर

को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता से 1,26,500 रुपये वसूलें और यह रकम खरीदार को दें। याचिकाकर्ता का तर्क था कि आयोग को पैसे की रिकवरी का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है और अधिनियम, 1995 के तहत उसकी शक्तियां केवल सिफारिश करने तक सीमित हैं। 'छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995' की धारा 9 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा

कि आयोग के काम मुख्य रूप से सलाहकार और सिफारिश करने वाले स्वभाव के हैं। कोर्ट ने कहा कि हालांकि आयोग की सलाह आमतौर पर राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, लेकिन कानून उसे न्यायिक शक्तियां नहीं देता है। विभिन्न पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच या पूछताछ के मकसद से सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां दिए जाने से आयोग सिविल कोर्ट नहीं बन जाता। कोर्ट ने कहा कि आयोग के सामने आया विवाद हार्वैस्टर मशीन की बिक्री से जुड़े कमर्शियल सौदे से पैदा हुआ। याचिकाकर्ता से 1,26,500 की वसूली करने और उसे प्रतिवादी नंबर 3 को भुगतान करने का निर्देश देकर आयोग ने अपनी कानूनी शक्तियों के दायरे से बाहर जाकर काम किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे निर्देश को सिर्फ एक सिफारिश नहीं माना जा सकता और यह आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम था।

कैप्सूल वाहन ने बाइक को मारी टक्कर शराब दुकान के दो कर्मचारियों की मौत



बलौदाबाजार, 2 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां कैप्सूल वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो शराब कर्मचारियों की मौत हो गई है। घटना के बाद पलारी पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान सत्यप्रकाश सोनवानी (34 वर्ष, पिता उत्तरा कुमार, निवासी खोरसीनाला लवन रोड) और गोपी किशन आडिल (25 वर्ष, पिता तुम्पन आडिल, निवासी ग्राम

सोनपुरी) के रूप में हुई है। दोनों ही मृतक सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और पलारी थाना क्षेत्र के संडी स्थित शराब दुकान में कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। बुधवार की रात पलारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घोटिया के पास कैप्सूल वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

ब्रेकिंग न्यूज

सियासत- क्या मनीष तिवारी नाराज? पंजाब कांग्रेस में फेरबदल पर कहा- पार्टी को 45 साल दिए, काश! मेरे पास दवा होती

नई दिल्ली, 2 जुलाई (न्यूज चैनल)। कांग्रेस सांसद पंजाब के लिए कांग्रेस द्वारा नए कार्यकारी अध्यक्षों और चुनाव आयोगों की नियुक्ति के बाद मनीष तिवारी हासिए पर चले गए इस शीर्षक वाले एक अखबार के लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए, एकस पोस्ट पर लिखा, काश मेरे पास व्यक्तियों और संस्थाओं की असुरक्षाओं का कोई इलाज होता! फिर भी, कांग्रेस ने पिछले 45 वर्षों में मुझे बहुत कुछ

दिया है और मैंने दशकों से अपना पूरा जीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा में समर्पित किया है। जो होगा सो होगा। यह टिप्पणी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) द्वारा बुधवार को आगामी 2027 पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा के बाद आई है, जिसमें कई चुनाव संबंधी समितियों के अध्यक्षों और सह-अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए हैं। वहीं, चंडीगढ़ से तीन बार के लोकसभा सदस्य और पंजाब में पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी को कोई संगठनात्मक भूमिका नहीं सौंपी गई है। बता दें कि मनीष तिवारी वर्तमान में चंडीगढ़ से सांसद हैं। वे 2019 में पंजाब के आनंदपुर साहिब से सांसद थे और लुधियाना से भी सांसद रह चुके हैं।

इसरो, एनआईए, डीआरडीओ और एयर इंडिया को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला व्यक्ति गाजियाबाद से गिरफ्तार

नई दिल्ली, 2 जुलाई (न्यूज चैनल)। दिल्ली पुलिस ने देश की सबसे हाई-सिक्वोरिटी वाली संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट को बम से उड़ाने की झूठी धमकी वाले ईमेल भेजने के मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने डिजिटल सुरांगों का पीछा करते हुए गाजियाबाद से 36 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अधिकारियों के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान निशांत त्यागी के रूप में हुई है जो साल 2008 से एक गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार है और उसका लंबा मेडिकल इतिहास रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 29 जून को भेजे गए ईमेल में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय समेत कई हाई-सिक्वोरिटी वाले ठिकानों पर बम होने का दावा किया गया था।



चूहा- सुनती हो, देश के 117 प्रमुख हस्तियों ने भारत-पाकिस्तान के बीच मधुर संबंध बनाने की पहल की है।

चुहिया- हां जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते..!

कमजोर मानसून पर सीएम साय का किसानों को बड़ा दिलासा, कहा- साथ खड़ी है सरकार, लेकिन बारिश के हिसाब से करें खेती का प्लान

रायपुर, 2 जुलाई (हाईवे चैनल)। अल नीनो के असर से मानसून के कमजोर होने पर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों के साथ सरकार है। मौसम विभाग ने पहले से ही बता दिया है कि मानसून कमजोर रहेगा। हम भी किसानों को लगातार अवगत करा रहे हैं कि मानसून के हिसाब से खेती-किसानी की योजना बनाएं। जाजगीर चांपा और सको के दौर पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मोडिया से चर्चा में कहा कि आज सक्ती जा रहे हैं, वहाँ पर भाजपा जिला कार्यालय का भूमिपूजन है। इस दौरान मंत्रालय में गत दिवस हुई समीक्षा बैठक के संबंध में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस साल के बजट में पाँच मिशन बनाये



हैं, उसमें एक एआई मिशन भी है। जिस तरह से एआई की उपलब्धता हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं, उसके प्रभावी उपयोग पर चर्चा हुई है।

चरण पादुका को लेकर जारी टेंडर पर हाईकोर्ट के रोक लगाए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि संज्ञान लिए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में योजना बंद हुई थी। अब हमारी सरकार ने फिर से शुरू किया है। लगातार हर साल इसका लाभ देंगे। वहीं आईआईएम में 4 और 5 जुलाई को होने वाले चिंतन शिविर के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर का यह तीसरा साल होगा। गुड गवर्नेस को लेकर चर्चा होगी। सरकार के कामकाज पर फोकस रहेगा। उससे सरकार चलाने में बहुत मदद मिलती है।

जनपद पंचायत सीईओ का तबादला, अब जिला पंचायत सीईओ के ट्रांसफर की मांग पर अड़े ग्रामीण, कलेक्टर ने बनाई जांच समिति

मोहला-मानपुर, 2 जुलाई (हाईवे चैनल)। निर्माण कार्यों के भुगतान में कथित कमीशनखोरी, अनावश्यक देरी और अनदेखी का आरोप लगाते हुए मोहला-मानपुर जिले के तीन विकासखंड के 185 सरपंचों ने जिला पंचायत सीईओ के तबादले की मांग की थी। इस बीच मोहला जनपद पंचायत के सीईओ प्रान्जल प्रजापति का तबादला बस्तर कर दिया है। इस तबादले को सरपंच और पंचायत विभाग के बीच जारी टकराव के मसले पर शासन की बड़ी प्राथमिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह तबादला इसी विवाद की वजह से हुआ है, लेकिन पिछले एक हफ्ते



से जिला सरपंच संघ प्रशासन पर 'कथित वसूली' और 'प्रशासनिक आतंकवाद' जैसे गंभीर आरोप लगाकर पंचायत विभाग को कटघरे में खड़ा कर रहा था।

जिस दिन तबादला आदेश जारी हुआ, उसी दिन सरपंच संघ का 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल

है। ऐसे में इस घटनाक्रम के बाद ये सोचा जाना लाजमी है कि सीईओ का तबादला सरपंच संघ द्वारा प्रशासन के द्वारा छेड़ी गई मुहिम नतीजा भी हो सकता है।

दूसरी ओर जिला सरपंच संघ और प्रशासन के बीच उपजे विरोध के मसले पर कलेक्टर ने भी बारह सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। दो अपर कलेक्टर तथा संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर से युक्त इस जांच कमेटी के सदस्य चार-चार की संख्या में बट कर जिले के तीनों जनपद पंचायतों मसलन मोहला, मानपुर व अंबागढ़ चौकी में अलग-अलग जांच बैठक कर जिला सरपंच संघ की ओर से सामने आये तथ्यों और मांगों को लेकर पड़ताल करेंगे।

मुंबई और उपनगरों में मूसलाधार आफत! पनवेल, उरण, पालघर और रायगढ़ में स्कूल-कॉलेज बंद, उड़ानें प्रभावित, लोकल ट्रेनें थमीं

नई दिल्ली, 2 जुलाई (न्यूज चैनल)। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों और मुंबई महानगर क्षेत्र में बुधवार और गुरुवार को हुई भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। मूसलाधार बारिश और उसके बाद हुए गंभीर जलजमाव को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। पनवेल, उरण, पालघर और रायगढ़ के स्थानीय नगर निकायों ने गुरुवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, इन क्षेत्रों में जलजमाव की स्थिति सामान्य होने और पानी उतरने के बाद ही कक्षाएं दोबारा शुरू की जाएंगी। एक तरफ जहां उपनगरों और पड़ोसी जिलों में स्कूल बंद रहे, वहीं दूसरी तरफ बृहन्मुंबई नगर निगम, नवी मुंबई नगर निगम, कल्याण-डोंबिवली



नगर निगम और ठाणे नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों को खुला रखा गया। इन नगर निकायों ने स्कूल बंद करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया, हालांकि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सामान्य से काफी कम देखी गई। भारी बारिश के कारण मुंबई और उसके सैटेलाइट शहरों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वहीं, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जोगेश्वरी, मुंब्रा और नवी मुंबई के कई प्रमुख रास्तों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई।

छग के युवाओं को बड़ी सौगात: 700 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती को मंजूरी

रायपुर, 2 जुलाई (हाईवे चैनल)। राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प और युवाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को नया कलेवर देने और सालों से अटकते प्रशासनिक मामलों को सुलझाने के लिए आज उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए।

प्रदेश के उच्च शिक्षा इतिहास में युवाओं के लिए इसे सबसे बड़ा दिन कहा जा सकता है। बैठक में सबसे बड़ा और अहम फैसला लेते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने सहायक प्राध्यापक के 700 रिक्त पदों पर अविलंब भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई रुकावट या ढिलाई बर्दाश्त

उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में पदोन्नति समेत लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले



नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, विभाग के अन्य खाली पदों को भरने के लिए भी शासन को तत्काल नया प्रस्ताव भेजने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। सीजीपीएससी के माध्यम से होने वाली प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य को भी अब युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।

महाविद्यालयों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने

कड़े लहजे में निर्देश दिया कि 31 जुलाई 2026 तक स्नातक प्राचार्यों की पदोन्नति का काम हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। नए शिक्षा सत्र में छत्तीसगढ़ का कोई भी स्नातक कॉलेज बिना नियमित प्राचार्य के नहीं रहेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार के एजेंडे में शिक्षा की गुणवत्ता सबसे ऊपर है।

प्राध्यापकों और विभागों के कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बैठक में कई संवेदनशील निर्णय लिए गए। पुराने नियम से मिलेगी तरकी साल 2019 से पहले के

बचे हुए सहायक प्राध्यापकों को 1990 के नियमों के तहत ही प्राध्यापक पद पर प्रमोट किया जाएगा, जिससे उनकी वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी। सहायक प्राध्यापकों के वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान की सूचियां लागू तैयार हैं, जिन्हें जल्द ही जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से संघर्षरत अतिथि प्राध्यापकों की जायज मांगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेवा शर्तों में सुधार के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार तुरंत एक्शन लेने जा रही है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक ग्रेड-3 और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां अब 'राज्य कर्मचारी चयन आयोग' के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी।

राज्य सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल और

ग्रामीण क्षेत्रों के होनहारों के लिए एक अनोखी पहल की है। अब महाविद्यालयों में 90 घंटे, 90 दिन का विशेष अंग्रेजी संप्रेषण कोर्स चलाया जाएगा। इस अनूठे अभियान से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के भीतर का संकोच दूर होगा और वे देश-दुनिया के युवाओं के साथ कदम से कदम मिला सकेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में शासन के शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

बजट प्रबंधन को लेकर मंत्री वर्मा ने वित्तीय शुचितता का संदेश देते हुए कहा कि विभाग में किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। अब किसी भी कॉलेज को बजट जारी करने से पहले प्रशासनिक अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। नए महाविद्यालयों के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे, ताकि किसी भी संस्थान को कम या ज्यादा राशि मिलने की शिकायत का मौका न मिले।